

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई No. 385] NEW DE

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सं 32/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 458(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनयम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 242(अ), तारीख 28 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 15/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 मार्च, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, जुलाई 2017 से जून 2019 तक की अवधि के दौरान किसी छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को प्रेषित या किसी छुटपुट काम करने वाले कर्मकार से वापस आये माल के संबंध में, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा देने की समय-सीमा को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 20/06/17/2018-जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

3209 GI/2019 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

No. 32/2019-Central Tax

G.S.R. 458(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), and in supercession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 15/2019-Central Tax, dated the 28th March 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.242(E), dated the 28th March 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the declaration in **FORM GST ITC-04** of the said rules, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from July, 2017 to June, 2019 till the 31st day of August, 2019.

[F. No. 20/06/17/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.